फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

मोतीलाल मुतबन्ना नारायण गुर्जर निवासी वजीरपुरा
बनाम
खेमराज पिता मोती मीणा निवासी नौगांवा वगैरा

प्रकरण संख्या 70/2022 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.08.24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। रेस्पो. सं. 17 के कायम मुकाम की कार्यवाही शेष है। अधिवक्ता अपीलांट ने आज भी रेस्पो. सं. 17 के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की है। पत्रावली दिनांक 28.04.2022 से रेस्पो. सं. 17 के कायम मुकाम में लम्बित चल रही है। अधिवक्ता अपीलांट को रेस्पो. सं. 17 के कायम मुकाम हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी उनके द्वारा कायम मुकाम की कर्यवाही नहीं की है। कायम मुकाम की सूचना प्रस्तुत करने हेतु 90 दिवस की अवधि निर्धारित है फिर भी अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लगभग 2 वर्ष 04 माह की अवधि व्यतीत होने के बाद भी रेस्पो. सं. 17 के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की है जबकि अधिवक्ता अपीलांट को पेशी दिनांक 19.07.2024 पर अन्तिम अवसर दिया जा चुका है तथा पेशी दिनांक 07.08.2024 पर अन्तिम अवसर देने के बाद भी न्यायहित में एक अतिरिक्त अवसर ओर दिया जा चुका है फिर भी उनके द्वारा रेस्पो. सं. 17 के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की है अर्थात् अधिवक्ता अपीलांट अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। चूंकि कायम मुकाम हेतु निर्धारित समयावधि के बाद भी अधिवक्ता अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 17 के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की है। अतः अब प्रकरण एबेटमेंट में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	